समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक सं0–2प/प0स0भ0–09–44/2020/07(स्वी0)/पं0रा0, दिनांक 04.05.2020 के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 20–21 में मुख्य शीर्ष – 4515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूजीगत परिव्यय – उप मुख्य शीर्ष– 00 – लघुशीर्ष – 101– पंचायती राज विभाग –उपशीर्ष – 0108 – पंचायत सरकार भवन" के अन्तर्गत विषयशीर्ष –0108–53.01 मुख्य निर्माण ईकाई मद में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अतंर्गत विपत्र कोड– 16–4515001010108 है। वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कुल 1,87,00,000/–(एक करोड़ सातासी लाख रूपये) मात्र का स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ है।

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक सं0–2प/प0स0भ0–09–44/2020/13(स्वी0) / पं0रा0, दिनांक 08.05.2020 के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 20–21 में मुख्य शीर्ष – 4515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूजीगत परिव्यय – उप मुख्य शीर्ष– 00 – लघुशीर्ष – 101– पंचायती राज विभाग –उपशीर्ष – 0108 – पंचायत सरकार भवन" के अन्तर्गत विषयशीर्ष –0108–53.01 मुख्य निर्माण ईकाई मद में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अतंर्गत विपत्र कोड– 16–4515001010108 है। वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कुल 1,87,00,000/–(एक करोड़ सातासी लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है।

जिसके आलोक में अधोलिखित पदाधिकारियों से प्राप्त मापी पुस्त एवं दिये गये अधियाचना पत्र (मांग पत्र) के आलोक में राशि CFMS के PAYEE ID माध्यम से राशि उपावंटित किया जाता है:–

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कलस्टर संख्या एवं ग्राम पंचायत का नाम	CFMS के PAYEE ID	पंचायत सरकार भवन निर्माण पर व्यय हेतु उपावंटित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	17/बढ़ौनियाँ	MG149808	₹ 30,00,000.00 (तीस लाख)	
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	05/बि0दि0झौवाबहियार	MG282631	₹ 20,00,000.00 (बीस लाख)	
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	15/पड़भारा	MG225771	₹ 55,00,000.00 (पचपन लाख)	
		कुल योग –		₹1,05,00,000.00(एक करोड पाँच लाख) मात्र	

₹ 1,05,00,000.00 (एक करोड़ पॉच लाख) रूपये मात्र।

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में विभागीय पत्रांक–383 दिनांक–20.03.2020 एवं 299 दिनांक–04.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया गया।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय। ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलंब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0– तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि की निकासी दिनांक–25.03.2021 तक निश्चित रूप से निकासी करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–25.03.2021 के अपराह्न 4 बजे तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/=
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 768 /पं0, दिनांक 23.03.2021

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर /तारापुर / बरियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23.3.21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।